# फर्द अहकाम

राकेश बनाम नाथी देवी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

केस संख्या 06/2015

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | 9/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस अपील हेतु दि० 16/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |
| | 16/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दिनांक 31/5/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |
| | 31/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. बहस अपील सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश निर्णय 13/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |
| | 13/6/24 | पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उप. दस्तावेजात पेश [illegible] की ओर से [illegible] किये गये [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश [illegible] 19/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |
| | 19/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. [illegible] सुनी जा चुकी [illegible] स्वीकार की जाती है [illegible] पत्रावली [illegible] किया गया [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) |

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 6/2015
निर्णय दिनांक :19.06.2024

1 रामेश्वर पुत्र श्री लादूराम जाति बैरवा निवासी प्लाट संख्या 17 टैगोर नगर, करतारपुरा तहसील व जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट

बनाम

1 नाथी देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी– कच्ची बस्ती, ग्राम गिरधारीपुरा (हीरापुरा) तहसील–जिला जयपुर ।

2 कानी देवी पत्नी स्व. श्री रामजीलाल

3 राजेश पुत्र स्व. श्री रामजीलाल

समस्त जाति बैरवा निवासीगण – साड़ बाबा के चबुतरे के सामने, नारायण नगर, ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

4 सन्तोष पत्नी श्री मोहनलाल पुत्री स्व. श्री रामजीलाल

5 सन्तरा पत्नी श्री बनवारी पुत्री स्व. श्रीरामजीलाल

समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम रामदत्तपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

– रेस्पोडेन्टस

**प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 630 दिनांक 05.05.2015 ग्राम पंचायत रामपुराउंती, पंचायत समिति व तहसील सागांनेर जिला जयपुर**

### निर्णय

दिनांक 19.06.2024

अपीलान्ट की ओर से अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम एव प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 96 सी पी सी एंव प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम रामपुराऊँती तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1438 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नवंर 1439 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1448 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नवंर 1449 रकवा 3.1000 हैक्टेयर, खसरा नवंर 1450 रकबा 0.2600 हैक्टेयर व खसरा नवंर 1431/1874 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 06 रकबा 3.9600 हैक्टेयर जिसके साबिक खसरा नवंर 601 रकबा 17 बीघा 01 बीस्वा के भू–राजस्व अभिलेखोमें अभिलिखित खातेदार कृषक रेस्पोडेन्ट [illegible] व रेस्पोइन्ट संख्या दो लगायत पॉच के हकपूर्वाधिकारी रामजीलाल पुत्र [illegible] निवासी बेरवा रामचन्द्र को० चमार सा० देह थे। दिनांक [illegible] अभिलिखित खातेदार कृषक रामजीलाल व मु० किसनी देवी ने अपने उत्तराधिकारी, दायभागी, स्थानापन्न इत्यादि को सम्मिलित करते हुए उक्त वादग्रस्त भूमि का साधिकार विक्रय अपीलान्ट के हक में कर मूल्यवान विक्रय प्रतिफल कि राशी सम्पूर्ण अपीलान्ट से प्राप्त कर विक्रय कि गई भूमि का कब्जा अपीलान्ट को सुपुर्द कर दिया और उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

विक्रय का विक्रयपत्र अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील नियमानुसार कर उप पंजीयक सांगानेर के समक्ष पंजीकृत करा दिया। तत्पश्चात से वादग्रस्त भूमि मे किसी प्रकार के कोई हक, अधिकार व हित विक्रेतागण के शेष नही रहे अर्थात् वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जो भी हक अधिकार व हित विक्रेतागण के थे वे समस्त समाप्त होकर क्रेता अपीलान्ट में उत्पन्न हो गए तब से ही क्रेता अपीलान्ट वादग्रस्त क्रयशुदा भूमि का तन्हा खातेदार एवं काबिज काश्तकार होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। दिनांक 17.10.1994 को अपीलान्ट के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय व कब्जाशुदा वादग्रस्त भूमि का उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर अपीलान्ट के हक मे नियमानुसार नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 29.01.1995 को तहसीलदार एवं पदेन सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सामांनेर के द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि का विधिवत खातेदार एवं काबिज काश्तकार होकर निरन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाकं 17.10. 1994 के आधार पर अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 29.01.1995 के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा भू–प्रबन्ध सक्रियाओं में वादग्रस्त भूमि कि खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989 से 2009 तक में खातेदार कृषक रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र व मु० किरानी बेवा रामचन्द्र को० चमार सा० देह मु० किरानी देवी बेवा रामचन्द्र के बजाय खातेदार कृषक रामेश्वर पुत्र लादूराम जाति बैरवा निवासी प्लाट नम्बर– 17, टेगोर नगर, करतारपुरा, जयपुर कि प्रवष्टि का अकंन करना चाहिए था जो नही किया बल्कि उसके स्थान पर मात्र खातेदार कृषक रामजीलाल के बजाय रामेश्वर पुत्र लादूराम जाति बैरवा निवासी प्लाट नम्बर– 17, टेगोर नगर,करतारपुरा, जयपुर का अंकन कर दिया गया। इस सहबन से मु० किरानी देवी बेवा रामचन्द्र का अंकन त्रुटियुक्त अंकित रहा। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निर्मित खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989 से 2009 तक में मु० किसनी देवी बेवा रामचन्द्र के सम्बन्ध में खातेदारी के हुए अशुद्ध अकंन के आधार पर तहसील के कार–कूनान ने बिना सम्यक जॉच के जमाबन्दीयो में भी मु० किसनी देवी बेवा रामचन्द्र के सम्बन्ध मे अशुद्ध अंकन कर दिया और भू–राजस्व की अशुद्ध प्रविष्ठी के आधार पर मु0 किसनी देवी का देहान्त होने पर बिना आधार व अधिकार के गैरकानूनी तौर तरीके से रेसपोडेन्ट संख्या एक लगायत पॉच ने तहसील के कार–कुनान सें साजकर बालाबाला मु० किसनी देवी कि विरासत का नामान्तरण संख्या 630 दिनांक 05.05.2015 को ग्रामपंचायत रामपुराऊँती को भ्रम में रखते हुए अपने हक मे तस्दीक करवा लिया। जिसकी अपीलान्ट को दिनांक 12.08. 2015 से पूर्व कोई जानकारी नही हो सकी। उक्त विरासत नामान्तरण संख्या 630 से अपीलान्ट के विधिक अधिकार गम्भीर रूप से विपरीत प्रभावित हुए है अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 630 अधीनस्थ न्यायालय ग्रामपंचायत रामपुराऊँती प०स० व तहसील सांगानेर जिला जयपुर दिनांक 05.05.2015 तथ्यो, कानून, नियम, अभिलेखो, पंजीकृत विलेख व न्यायिक आदेशों के विपरीत होने कि [illegible] निरस्तनीय है।अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे [illegible] के मनमाना निर्णय पारीत किया है जो निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस एवं [illegible] अवसर अपीलान्ट को प्रदान नही किया गया जो प्राकृतिक न्याय व न्यायप्रशासन के [illegible] मान्य सिध्दान्तो के विपरीत होने से अपीलाधीन नामान्तरण पूर्णतः अवैध होने कि वजह से निरस्तनीय है।दिनांक 17. 10.1994 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय जरीये पंजीकृत विक्रयपत्र के माध्यम से रेस्पोडेन्टस् के हकपूर्वाधिकारीयों के द्वारा अपीलान्ट के हक में विधिवत् विक्रय कर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested

उप प्रबन्ध अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

जाने एवं कब्जासुपुर्द किये जाने के पश्चात् उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 29.01.1995 को अपीलान्ट के हक में स्वीकृत किया गया तत्पश्चात् से उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र एवं नामान्तकरण संख्या 80 प्रभावी होने की सम्पूर्ण जानकारी के होने के बावजूद बिना जाँच तथा बिना आधार व अधिकार के गैर कानूनी तौर तरीके से बालाबाला अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करवाया गया जो पूर्णतः अवैध होने कि वजह से निरस्तनीय है। वादग्रस्त भूमि के भू-राजस्व अभिलेखो में मु० किसनी देवी बेवा रामचन्द्र कि प्रविष्टि लिपिकीय त्रुटि के आधार पर अंकित होने की जानकारी रेस्पोडेन्टस् को होने के बावजूद अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करवाया गया जो पूर्णतः अवैध होने कि वजह से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरण राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के आज्ञापक नियमों एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व संवन्धित विधियों का उल्लघंन करते हुए तस्दीक किया है जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्तनीय है।दिनांक 12.08.2015 को अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर कृषि सुधार कार्य हेतु ऋण कि आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से जमाबन्दी कि प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरण जानकारी हुई तत्पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरण कि नकल प्राप्त होने पर दिनांक 26.08.2015 को सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। चुंकि अपीलाधीन नामातरण अपीलान्ट को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही तस्दीक किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर रहा है। यद्यपि प्रश्नाधीन नामान्तरण विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत प्रारम्भ से ही अवैद्य एवं शून्य है एवं ऐसे अवैध एवं एक पक्षिय आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु मियाद लागू नही होती है और अपील अपीलान्ट जानकारी के दिन से नियमानुसार अन्दर मियाद प्रस्तुत कि जा रही है तथापि विधिक बाध्यता के अनुसरण में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 कि धारा 5 के तहत पृथक से आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 630 से अपीलार्थी केसाम्पतिक, संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार गम्भीर रूप से विपरीतप्रभावित हो रहे है। चुंकि अपीलार्थी ने मूल्यवान विक्रयप्रतिफल अदा कर विधिवत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक लगायत पाँच को वादग्रस्त भूमि मे विरासती अधिकार कभी भी उत्पन्न ही नही हुए और ना ही कानूनन हो सकते है। इसलिए अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 630 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 630 दिनांक 05.05.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा भू-राजस्व अभिलेखो से रेस्पाडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 का अकंन विलोपित किये जाने का निर्देश तहसीलदार सांगानेर को प्रदान किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्टस् को आहुत किये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये तथा [illegible] रिकार्ड तलब किया गया तथा रिकार्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया [illegible] एक ता पांच की ओर से अधिवक्ता उपस्थि[illegible] एक ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 तथा जवाब प्रार्थना पत्र 05 परिसीमा अधि[illegible]म व प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपति का प्रस्तुत किया गया । पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई । उभय पक्षो की बहस सुनी गई ।

उक्त अपील को गुणागुण पर निस्तारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी एंव प्रार्थना पत्र 05 परिसीमा अधिनियम को निर्णित किये जा रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

उभय पक्षो की बहस पर मनन किये जाने एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभय पक्षो द्वारा प्रस्तुत अपील एंव प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना मे वर्णित तथ्यो का अवलोकन किया गया । रेसपोडेन्ट ने इस तथि से इन्कार नही किया गया है कि दिनांक 17.10.1994 को रामजीलाल व किशनी के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे किया पंजीकृत विकय पत्र नही किया गया है केवल उनकी आपत्ति है कि उक्त विक्रय पत्र को शून्य व वातिल कराने हेतु न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है ऐसी अवस्था मे उभय पक्ष इस तथ्य को तो स्वीकार करते है कि रेस्पोडेन्टस के हकपूर्वाधिकारी रामजीलाल व स्व0 किशनी के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष मे विक्रय पत्र निष्पादित कराया है ऐसी अवस्था मे जबकि उभय पक्ष किसी दस्तावेज के निष्पादन को स्वीकार करते है तो वह तथ्य स्वीकृत तथ्य की श्रेणी मे आता है तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.10.1994 के आधार पर अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 29.01.1995 के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा भू–प्रबन्ध सक्रियाओं में वादग्रस्त भूमि कि खतौनी बन्दोबस्त सन् 1989 से 2009 तक में खातेदार कृषक रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र व मु० किसनी बेबा रामचन्द्र को० चमार सा० देह के बजाय खातेदार कृषक रामेश्वर पुत्र लादूराम जाति बैरवा निवासी प्लाट नम्बर– 17, टेगोर नगर, करतारपुरा, जयपुर कि प्रवष्टि का अकंन करना चाहिए था जो नही किया बल्कि उसके स्थान पर मात्र खातेदार कृषक रामजीलाल के बजाय रामेश्वर पुत्र लादूराम जाति बैरवा निवासी प्लाट नम्बर– 17, टेगोर नगर,करतारपुरा, जयपुर का अंकन कर दिया जबकि उक्त नामान्तरण संख्या 80 बाबत किसी प्रकार का कोई खण्डन जबाब प्रार्थना पत्र अंकित नही किया है ।

समस्त दस्तावेजात अवलोकन व मनन से यह तथ्य पूर्ण रुप से स्थापित है कि रेस्पोडेन्टस के हकपूर्वाधिकारी द्वारा पंजीकृत विकय पत्र अपीलान्ट के पक्ष मे निष्पादित किये जाने के पश्चात समस्त भूमि का नामान्तरण अपीलान्ट के पक्ष मे खोला जाना चाहिए था परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरीके से विकय पत्र के आधार पर शुद्व प्रविष्टि नही की जिसके परिणामस्वरुप स्व किशनी का नाम राजस्व अभिलेखो मे अंकित रहा है तााि उसके देहान्त के पश्चात बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 630 दिनांक 05.05.2015 को तस्दीक किया गया जिससे अपीलान्ट के अधिकार गभ्भीर रुप से प्रभावित हुए है ऐसी अवस्था मे अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक है अत अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम मे वर्णित तथ्यो के अनुसार नामान्तरण संख्या 630 की जानकारी प्रार्थी /अपीलान्ट को दिनांक 12.08.2015 को अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि एर कृषि सुधार कार्य हेतु ऋण कि आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से जमाबन्दी कि प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरण जानकारी हुई तत्पश्चात् अपीलाधीन नामान्तरण कि नकल दिनांक 26.08.2015 को प्राप्त होने पर प्रार्थी को जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील [illegible] न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के कथन किये है तथा रैस्पोडेन्टस [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट को विवादग्रस्त [illegible] की पूर्व मे ही जानकारी रही है परन्तु रेस्पोडेन्टस के द्वारा उक्त तथ्य को साबित करने हेतु किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित होता हो कि प्रार्थी/अपीलान्ट को विवादग्रस्त नामन्तरण की पूर्व से जानकारी रही हो तथाप्रार्थी/अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अवस्था मे प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील को अन्दर मियाद मानी जाती है ।

तथा समग्र दस्तावेजात व रिकार्ड का अवलोकन करने से उक्त तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक 17.10.1994 को अपीलान्ट के द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय व कब्जाशुदा वादग्रस्त भूमि का उक्त पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर अपीलान्ट के हक में नियमानुसार नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 29.01.1995 को तहसीलदार एवं पदेन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी सांगानेर के द्वारा स्वीकृत किया गया।वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र दिनाकं 17.10. 1994 के आधार पर अपीलान्ट के हक में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 29.01.1995 के अनुसार भू-प्रबन्ध विभाग के द्वारा भू-प्रबन्ध सक्रियाओं में वादग्रस्त भूमि कि खतौनी वन्दोवस्त सन् 1989 से 2009 तक में खातेदार कृषक रामजीलाल पुत्र रामचन्द्र व मु० किसनी वेवा रामचन्द्र कौ० चमार सा० देह के वजाय खातेदार कृषक रामेश्वर पुत्र लादूराम जाति वैरवा निवासी प्लाट नम्बर- 17, टेगोर नगर, करतारपुरा, जयपुर कि प्रविष्टि का अंकन करना चाहिए था जो नही किया वल्कि उसके स्थान पर मात्र खातेदार कृषक रामजीलाल के वजाय रामेश्वर पुत्र लादूराम जाति वैरवा निवासी प्लाट नम्बर- 17, टेगोर नगर,करतारपुरा, जयपुर का अंकन कर दिया गया। इस सहवन से मु० किसनी देवी वेवा रामचन्द्र का अंकन त्रुटियुक्त अंकित रहा। वादग्रस्त भूमि के सम्वन्ध में निर्मित खतौनी वन्दोवस्त सन् 1989 से 2009 तक में मु० किसनी देवी वेवा रामचन्द्र के सम्बन्ध में खातेदारी के हुए अशुद्ध अकंन के आधार पर तहसील के कार-कूनान ने विना सम्यक जॉच के जमाबन्दीयो में भी मु० किसनी देवी वेवा रामचन्द्र के सम्वन्ध मे अशुद्ध अंकन कर दिया ऐसी अवस्था मे राजस्व रिकार्ड मे अशुद्व अंकन को स्थिर नही रखा जा सकता है तथा रेस्पौडेन्टस संख्या एक के द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियो मे आपत्ति उठाई है कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपने आधार व अधिकार हेतु पृथक न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर रखा है तथा अपीलान्ट के पक्ष मे किये गये विक्रय पत्र दिनांक 15.11.1994 को शून्य व वातिल धोषित कराने हेतु वाद प्रस्तुत कर रखा है उक्त समस्त आपत्तियो के खण्डन मे अधिवक्ता अपीलान्ट के द्वारा निवेदन किया गया कि विधि अनुसार नामान्तरण एक फिस्कल प्रोसेडिगं है तथा राजस्व अभिलेख को सही किया जाना आवश्यक है तथा यदि सक्षम न्यायालय से रेस्पोडेन्ट के अधिकार निर्णित किये जाते है अथवा अपीलान्ट के पक्ष किये गये विक्रय पत्र को शून्य व वातिल किये जाने के पश्चात विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्टस के अधिकार सृजित होगें तथा रेस्पोडेन्टस ने उक्त तथ्यो के सवंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज भी विधि अनुसार प्रस्तुत नही किये है तथा अपील को अन्तिम रुप से निरस्तारित किया जाना चाहिए अत रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किया जाना चाहिए । हम अपीलान्ट अधिवक्ता के तर्को से सहमत है क्योकि अपीलान्ट के पक्ष मे किये गये विक्रय पत्र को किसी न्यायालय से शून्य व वातिल धोषित नही किया गया तथा ना ही सक्षम न्यायालय द्वारा रेस्पांडेन्टस के अधिकारो की धोषणा नही की गई तथा ना [illegible] यो वावत किसी प्रकार का कोई दस्तावेत प्रस्तुत किया गया [illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के विपरीत है । अतः ऐसी अवस्था मे रेस्पाडेन्टस का प्रार्थना पत्र प्रारभिक आपत्तियो को खारिज किया जाता है।

समस्त तथ्यो व पत्रावली व रिकार्ड के विवचन से उक्त तथ्य प्रमाणित है कि नामान्तकरण संख्या 630 दिनांक 05.05.2015 खोले जाने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया जिससे अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अधिकार गम्भीर रुप से प्रभावित हुए है अत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 630 दिनांक 05.05.2015 ग्राम पंचायत रामपुराउली ,पंचायत समिति सांगानेर को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांगानेर को प्रकरण प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्षो का पूर्ण सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निर्णय करे ।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( हिम्मत सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:16:58 IST
Reason: SelfAttested